

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

ई-निविदा



2016–2017

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध गांधी स्मारक
चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय भवन में
पेरस्ट कन्ट्रोल हेतु ई-निविदा (द्वितीय आमंत्रण)

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई—निविदा विज्ञप्ति क्र. 14 / 2016—17

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	04-12-2016 10:30 AM	24-12-2016 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	04-12-2016 10:30 AM	24-12-2016 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	04-12-2016 10:30 AM	27-12-2016 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	28-12-2016 12.00 PM	—	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	28-12-2016 12.00 PM	—	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचित किया जावेगा।	—	TO BE OPENED ONLINE

अमानत राशि एवं चाहे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 27.12.2016 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा कर सकते हैं। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई—मेल:— jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662—242104
संपर्क:— 07662—242104, 9179705483, 9074466110

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देश:—

प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 02 सील्ड लिफाफे ए, बी एक बड़े आउटर लिफाफे सी में सील्ड कर प्रस्तुत करने होंगे।

लिफाफा ए मे रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 25000/- (पच्चीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

लिफाफा बी मे रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
2. वित्तीय वर्ष 2014–15,2015–16 (एसेसमेंट ईयर 15–16 एवं 2016–17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
3. कीटनाशक दवाईयों के उपयोग एवं भण्डारण के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनुज्ञा पत्र।
4. शासकीय चिकित्सालय अथवा अन्य शासकीय/अर्ध-शासकीय संस्थान में 1 वर्ष का पेस्ट कन्ट्रोल संबंधी कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र। (कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया हो की प्रति अनिवार्य रूप से लगावें)
5. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें पेस्ट कन्ट्रोल संबंधी कार्य दर्शित हो।
6. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ-पत्र।
7. 100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)
8. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
9. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति।
- 10.ई.पी.एफ. पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति।
- 11.ई.एस.आई.सी. पंजीयन की सत्यापित प्रति।

ई—निविदा हेतु नियम एवं शर्ते

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के पेस्ट कन्ट्रोल हेतु वर्ष 2016–17 के लिये ई—निविदा आंसूत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> पर आनलाईन भुगतान कर कर्य किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाईट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकता है।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म करने का मूल्य रु. 2000.00 (एक हजार मात्र) निर्धारित है। यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 25000/- (पच्चीस हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफट ही स्वीकार्य होगा, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार का ठेका स्वीकार नहीं होगा उसकी अमानती राशि प्रथम निविदाकार के कार्य संचालन प्रारंभ करने के 45 दिवस बाद वापस की जावेगी। अमानत राशि पर निविदाकार को ब्याज देय नहीं होगा।
4. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तों में संशोधन करने का अधिकार होगा।
5. गांधी स्मारक चिकित्सालय, संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय, संलग्न वार्डों एवं संलग्न भवन में वर्तमान में कार्यरत स्थिति में पेस्ट कन्ट्रोल (**Cockroaches, Termites, Bed Bugs, Birds, Rats, Mosquitoes, Wood Borers, Bees, spiders, lizards, centipedes, Ants etc.**) कार्य एवं वार्षिक रख—रखाव का कार्य करना होगा।
6. मधुमक्खियों के उन्मूलन हेतु छतों को हटाया जाना, मधुमक्खियों का दोबारा जमा ना होना, मरीजों एवं उनके परिजनों तथा स्टाफ तथा स्वयं की सुरक्षा को देखते हुए यह कार्य कुशलता से एवं फूलपूरफ मैथड एवं पर्यावरण तथा पूर्णतः सुरक्षित विधि से किया जाना है जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।
7. चूहों के उन्मूलन हेतु वार्डों में, कृत्रिम छतों के अन्दर, वातानूकूलित वेंट के अन्दर, शौचालयों, शवगृह, आकस्मिक चिकित्सा विभाग तथा बाह्य रोगी चिकित्सा विभाग, कार्यालयीन भवनों, चिकित्सालय परिसर में नालियों से सम्पूर्ण उन्मूलन एवं नियंत्रण करना समिलित होगा।
8. पेस्ट कन्ट्रोल से वार्डों में समस्त विस्तरों, साईड टेबलों, दवा ट्रालियों, कुर्सियों, वाश बेसिनों, शौचालयों, वार्डों में संलग्न कमरों, डाक्टर ड्यूटी रूम, सिस्टर ड्यूटी रूम एवं अन्य समस्त कमरों तथा उपकरणों, आकस्मिक चिकित्सा विभाग तथा बाह्य रोगी चिकित्सा विभाग, कार्यालयीन भवनों से पूर्णतः उन्मूलन एवं प्रभावी नियंत्रण अनिवार्य होगा। पेस्ट कन्ट्रोल के उपयोग में होने वाले केमिकल की समस्त जानकारी एवं चेतावनी पूर्व में देनी होगी जिससे सुरक्षित जगहों पर रख कर इनका उन्मूलन कराया जा सके। यह कार्य आपको सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराना होगा।
9. निविदाकार को सेवाकर प्रदाता के रूप में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदा के साथ निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 (एसेसमेंट ईयर 15–16 एवं 2016–17) की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. निविदाकार को सम्बधित कार्य का 50000 वर्गफिट में निर्मित बहुमंजिला शासकीय/अर्ध-शासकीय भवनों में पेरस्ट कन्ट्रोल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। कम से कम 500 बिस्तरों के शासकीय/अर्ध-शासकीय चिकित्सालय में कार्य करने के अनुभव वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी। अनुभव प्रमाण पत्र में बिस्तरों की संख्या का लेख होना आवश्यक है।
12. कार्य हेतु संलग्न किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या, परिचय पत्र प्रमाणीकरण संलग्न करना होगा। निविदादाता को प्रचलित श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. उपरोक्त कार्य हेतु लगने वाले उपकरणों/दवाइयों/सामग्रियों का वित्तीय भार निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा।
14. निविदाकर्ता द्वारा जो दर टेन्डर फार्म में अंकित की जावेगी वह केन्द्र तथा राज्य शासन के सभी प्रकार के अंशदानों, टैक्सों, शुल्कों आदि को मिलाकर होना चाहिये।
15. उपरोक्त कार्य हेतु संलग्न कर्मचारियों के सुरक्षा हेतु निविदाकार स्वयं उत्तरदायी होगा। कार्य के दौरान अथवा उसके बाद भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटना हेतु चिकित्सालय/महाविद्यालय प्रबंधन किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार्य होगा।
16. फर्म की किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण मेडिकल कालेज, चिकित्सालय में भर्ती मरीजों स्टाफ/अथवा उसकी सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार की हानि एवं चोरी होने पर फर्म से वसूली योग्य होगी एवं यह वसूली जमा की गयी अमानत राशि फर्म के देयक की राशि में से नियमानुसार वसूल की जा सकेगी। यदि किसी प्रकार की हानि मेडिकल कालेज से संबद्ध चिकित्सालयों को नहीं होती है तो उस स्थिति में फर्म को उक्त राशि समयावधि के पश्चात् मूलतः वापिस की जावेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। फर्म से स्त्रोत पर आयकर नियमानुसार कटौती योग्य होगा।
17. सभी विवादों के निपटारे हेतु अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबंध को बिना पूर्व सूचना व किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा का होगा।
18. यदि स्वीकृत निविदादाता के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण आपसी चर्चा कर किया जावेगा तथा अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त वैधानिक कार्यवाही के लिये न्यायिक क्षेत्र रीवा होगा।
19. निविदाकार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के संबंध में समस्त वैधानिक एवं वित्तीय सभी प्रकार की जवाबदेही निविदाकार की होगी।
20. तकनीकी बिड में योग्य पाये गये निविदादाताओं की ही मूल्य बोली (प्राइस बिड) खोली जावेगी।
21. निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी एक शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा प्रतिस्पर्धा से बाहर रखी जा सकेगी। जिसके लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी रहेंगी। तथा इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।

22. निविदा अवधि समाप्ति पश्चात् जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक निविदा को पूर्ववत् नियम, शर्तों एवं उसी दर पर निविदा कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा।
23. प्राप्त निविदाओं को बगैर कारण बताये निरस्त करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा को होगा।
24. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार स्वयं के खर्च पर निर्धारित रु. 1000/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प लाकर इकरारनामा सात दिन के अन्दर लिखित रूप में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा जिस पर दोनों पक्षकरों के हस्ताक्षर होंगे, प्रस्तुत करना होगा।
25. निविदादाता को निविदा की शर्तों के एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।
26. पेस्ट कन्ट्रोल के कर्मचारी चिकित्सालय में किसी प्रकार का गैरकानूनी कार्य नहीं करेंगे तथा किसी प्रकार से चिकित्सालय के कर्मचारियों उवं उनके परिजनों से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
27. निविदाकार के कर्मियों का व्यवहार सन्तोषप्रद न होने पर या भर्ती मरीजों व उनके परिजनों के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के विरुद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मी को हटाना या गंभीर प्रकरण में ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसका पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा को होगा तथा अमानत राशि की पूरी अथवा अंशिक राशि जप्त की जा सकेगी।
28. निविदाकार द्वारा अपनी ओर से दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
29. आनलाईन निविदा फार्म क्रय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा। निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है।
30. ठेका अवधि में निविदाकार किसी अन्य व्यक्ति को कार्य हेतु ठेका नहीं दे सकता है।
31. प्राइस बिड केबल आनलाईन ही भरी जावे। प्राइस बिड की हार्ड कापी प्रस्तुत न की जावे अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

प्रपत्र – ए

(लिफाफे को सील बंद करें तथा लिफाफे पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

पेस्ट कन्ट्रोल हेतु जमा अर्नेस्ट मनी से संबंधित डी.डी. का विवरण

क्रमांक	डी.डी का नम्बर विवरण	बैंक का नाम	राशि	जारी होने का दिनांक / वैधता तिथि

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....
निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः— बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र वी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें) निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी:-

सं. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें ।	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 25000.00 (पच्चीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफट. जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम				
2.	मूल ई-निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित ।				
3.	वित्तीय वर्ष 2014–15,2015–16 (एसेसमेंट ईयर 15–16 एवं 2016–17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
4.	कीटनाशक दवाईयों के उपयोग एवं भण्डारण के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनुज्ञा पत्र ।				
5.	शासकीय चिकित्सालय अथवा अन्य शासकीय / अर्ध-शासकीय संस्थान में 01 वर्ष का पेस्ट कन्ट्रोल संबंधी कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र । (कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया हो की प्रति अनिवार्य रूप से लगावें)				
6.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जिसमें पेस्ट कन्ट्रोल संबंधी कार्य दर्शित हो ।				
7.	100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)				
8.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति ।				
9.	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति ।				
10.	ई.पी.एफ. पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति ।				
11.	ई.एस.आई.सी. पंजीयन की सत्यापित प्रति ।				
12.	नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का मूल शपथ-पत्र ।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

के परिसर मे पेस्ट कन्ट्रोल हेतु

रेट सूची (केवल आनलाईन भरा जावे)

मैं/हम (फर्म) गांधी स्मारक
चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के परिसर मे पेस्ट कन्ट्रोल हेतु निविदा शर्तों
को मान्य करते हुए निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ।

पेस्ट कन्ट्रोल हेतु राशि रु.

पेस्ट कन्ट्रोल पूर्ण होने के पश्चात् वार्षिक रखरखाव हेतु राशि
करों की राशि यदि कोई हो पृथक से दर्शावें।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर इस प्रारूप में निविदा प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करेगें।

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा

विषय:- गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा में पेस्ट कन्ट्रोल हेतु ई-निविदा। (द्वितीय आमंत्रण)

श्रीमान्,

विषयान्तर्गत हम/मैं गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में पेस्ट कन्ट्रोल हेतु संलग्न प्रपत्र में दर सहित अपनी निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते हैं। मैंने निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है। मुझे निविदा प्रपत्र में संलग्न सभी शर्तें स्वीकार हैं।

1. निविदाकार का पूरा नाम
2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं.
4. पिता का नाम
5. पत्राचार का पता
6. स्थायी पता
7. Telephone no -
 Office-
 Fax -
8. E-Mail Address-
9. Bank Account No.-
10. Branch/IFSC Code-

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

—घोषणा—पत्र—

(100/- रूपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ड्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर में स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम—

पूरा पता—

फोन एवं मोबा. न.—

गवाह के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....
2. गवाह का नाम.....